



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062026-273648
CG-DL-E-19062026-273648

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3119]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2026/ज्येष्ठ 29, 1948

No. 3119]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2026/JYAISTHA 29, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2026

का.आ. 3242(अ).— केंद्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जहां तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम सं. 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से है, जो राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 14) से संबंधित है, उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. जेड-28016/17/2024-एएचएस-भाग(1)]

ए. मथुकुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2026

S.O. 3242(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 1st July, 2026, as the date on which the provisions of the said Act, in so far as they relate to serial number 73 and the entries relating thereto in the Schedule of the said Act, relating to the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021) shall come into force.

[F. No. Z-28016/17/2024-AHS-Part(1)]

A. MUTHUKUMAR, Jt. Secy.